

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
सत्यमेव जयते  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252605  
SG-DL-E-07032024-252605

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 2024/फाल्गुन 14, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 454
No. 82]	DELHI, MONDAY, MARCH 4, 2024/PHALGUNA 14, 1945	[N. C. T. D. No. 454

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 4 मार्च, 2024

फा. सं. 21/26 Apprn. I/2024/LAS-VII/Leg/1875.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2024

2024 की विधेयक संख्या 01

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 04 मार्च, 2024 को पुरःस्थापित किया गया)

## 2024 की विधेयक संख्या 01

## दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2024

वर्ष 2023-2024 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

## संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2024 है।

₹ 824,86,44,000/- का वर्ष 2023-2024 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए आठ सौ चौबीस करोड़ छियासी लाख चौवालीस हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2023-2024 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

## विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

## अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
I	II		III	IV	V
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	200	200	400
		पूँजी	100	0	100
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	906649	300	906949
		पूँजी	100	333450	333550
4	वित्त	राजस्व	200	1000	1200
		पूँजी	500	0	500
5	गृह	राजस्व	300	13500	13800
		पूँजी	200	0	200
6	शिक्षा	राजस्व	650	300	950
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	1314	100	1414
		पूँजी	700	0	700

8	समाज कल्याण	राजस्व	1562671	0	1562671
		पूँजी	5362900	0	5362900
9	उद्योग	राजस्व	0	59900	59900
10	विकास	राजस्व	900	10	910
		पूँजी	400	0	400
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	700	0	700
		पूँजी	1400	0	1400
	योग		7839884	408760	8248644

### उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 (1) (क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धन राशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2024, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

आतिशी, वित्त मंत्री

दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

### विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2024 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

राज कुमार, सचिव

### DELHI LAGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 4th March, 2024

**F. No. 21/26 Apprn. 1/2024/LAS-VII/Leg/1875.**—The following is published for general information :-

#### THE DELHI APPROPRIATION (No. 1) BILL, 2024

#### BILL No. 01 OF 2024

**(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 04 March, 2024)**

**BILL No. 01 OF 2024**

#### THE DELHI APPROPRIATION (No. 1) BILL, 2024

#### A

#### BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2023-2024.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Fifth Year of the Republic of India as follows:-

**Short title.**

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2024.

**Issue of ₹ 824,86,44,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2023-2024.**2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees eight hundred twenty four crore eighty six lakh forty four thousand only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2023-2024 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.**Appropriation.**

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

**SCHEDULE**

(See sections 2 and 3)

( ₹ In thousand)

**UMS NOT EXCEEDING**

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
2	General Administration	Revenue	200	200	400
		Capital	100	0	100
3	Administration of Justice	Revenue	906649	300	906949
		Capital	100	333450	333550
4	Finance	Revenue	200	1000	1200
		Capital	500	0	500
5	Home	Revenue	300	13500	13800
		Capital	200	0	200
6	Education	Revenue	650	300	950
7	Medical and Public Health	Revenue	1314	100	1414
		Capital	700	0	700
8	Social Welfare	Revenue	1562671	0	1562671
		Capital	5362900	0	5362900
9	Industries	Revenue	0	59900	59900
10	Development	Revenue	900	10	910
		Capital	400	0	400
11	Urban Development and Public Works	Revenue	700	0	700
		Capital	1400	0	1400
	<b>Total</b>		<b>7839884</b>	<b>408760</b>	<b>8248644</b>

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2024 is introduced in pursuance of sub-section (1) of section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2023-2024.

This bill seeks to achieve the above objectives.

ATISHI, Finance Minister

Delhi, the 29th February, 2024

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2024 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

RAJ KUMAR, Secy.